

8/3/18

पत्रावली पेश हुई जा रही
अनु. 1 माँ का रिपोर्ट से यह
जाहिर होता है कि संता पति
द्वारा का पुरे 0.800ha


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
की तामील

खसरा नं. २१७ पर कब्जा
है, परन्तु, १७/१३ वाफ संख्या
संता बनात जोरजी में संता
द्वारा थट ताना गया है, की
उसका हिस्सा केवल २१७/२
पर है जो की ०.५०० ha
भूमि है। अतः चूकि वाफ
वादी द्वारा १४४ RTA के तहत
पेश किया गया है, परन्तु वाफ्री
का कब्जा ही नहीं है। अतः
वाफ खारिज होने पाये है।
वादी को तथा के लिए
१४३, १४४ RTA के तहत वाफ
लाना होगा। पत्रावली साक्ष्य
है, एक संकत है।

27
मि.
कमी ५७७७७
गव


उपखण्ड अधिकारी
केन्द्रापीठ (सम.)